परिशिष्ट–एक

परीक्षा योजना

राज्य सेवा परीक्षा

1. प्रारंभिक परीक्षा – (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रारंभिक परीक्षा में 2:00 घंटे की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के बहुविकल्पीय होंगे (Multipile Choice) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 5 विकल्प (Five Choice) होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिये जायेंगे।

- प्रथम प्रश्न–पत्र–सामान्य अध्ययन (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिया जाएगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 01 अंक काटा जाएगा। प्राप्तांक = 2R-W (जहां R सही उत्तर की संख्या एवं W गलत उत्तरों की संख्या है)।

- द्वितीय प्रश्न–पत्र–योग्यता परीक्षा (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 01 अंक काटा जाएगा। प्राप्तांक = 2R-W (जहां R सही उत्तर की संख्या एवं W गलत उत्तरों की संख्या है)।

न्यूनतम अर्हता अंक – प्रत्येक प्रश्न–पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के एवं विकलांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्राविण्यता के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

2. मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार –

परीक्षा योजना

लिखित परीक्षा – (परम्परागत प्रकार)

स.क्र.	प्रश्न पत्र का नाम	प्रश्न पत्र की अवधि	कुल अंक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	प्रश्न–पत्र – 01 भाषा	03 घंटा	200	
2.	प्रश्न–पत्र – 02 निबंध	03 घंटा	200	अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से एक कुल दो विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने होंगे।
3.	प्रश्न–पत्र – 03 इतिहास, संविधान एवं लोकप्रशासन	03 घंटा	200	
4.	प्रश्न–पत्र – 04 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	03 घंटा	200	
5.	प्रश्न–पत्र – 05 अर्थव्यवस्था एवं भूगोल	03 घंटा	200	
6.	प्रश्न–पत्र – 06 गणित एवं तार्किक योग्यता	03 घंटा	200	
7.	प्रश्न–पत्र – 07 दर्शन एवं समाज शास्त्र	03 घंटा	200	
		कुल अंक	1400	
8.	साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण		150	
		कुल अंक	1550	

- मुख्य परीक्षा के प्रश्न–पत्र परम्परागत प्रकार (Conventional Type) के लघु/मध्यम/दीर्घ उत्तरीय होंगे।

- **प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चिन्हांकित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के सभी सात प्रश्न–पत्रों में सम्मिलित होना होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अनिवार्यतः सम्मिलित होना होगा। मुख्य परीक्षा के किसी भी प्रश्न–पत्र में एवं साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी अनर्ह होंगे।**

- **प्रथम प्रश्न–पत्र–भाषा को छोड़कर** अन्य सभी प्रश्न–पत्रों का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा इच्छानुसार केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जाएगा। परंतु किसी प्रश्न–पत्र में उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अंशतः नहीं दिया जाएगा।

- **प्रश्न पत्र–02 में दो भाग होंगे** 1. राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं, 2. छत्तीसगढ़ राज्य की समस्याएं। अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग से तीन विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक–एक विकल्प पर समस्या–समाधान (कारण, वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित एवं समाधान) पर निबंध लिखना होगा।

- **मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र क्रमांक 03 से 07 में निम्नानुसार प्रश्न होंगे :–** ✪

खण्ड 01 – इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 20 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 02 अंक होगा। इस तरह इस खण्ड के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 30)

खण्ड 02 – इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 10 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 अंक होगा। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 60)

खण्ड 03 – इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 05 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 8 अंक होगा। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 100)

खण्ड 04 – इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 03 प्रश्न दिए जायेंगे, जिनमें से कोई 02 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 20 अंक होगा। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। (प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 250)

खण्ड 05 – इस खण्ड के अंतर्गत संबंधित प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 02 प्रश्न दिए जायेंगे, जिनमें से कोई 01 प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न हेतु 40 अंक होगा। इस प्रकार इस खण्ड के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। (प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग – 500)

✪ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–3/2008/1/एक (पार्ट–2), दिनांक 27/07/2013 द्वारा संशोधित।

क्रमशः

SARKARIRESULT.COM